

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-493 / 2013
 संस्थित दिनांक-17.06.2013
 फाईलिंग क्र.234503000222013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - - **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-सुनील बिसेन पिता फागूलाल बिसेन, उम्र-38 वर्ष,
 निवासी-ग्राम सोनेवानी, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-फागूलाल पिता मुन्नालाल बिसेन, उम्र-56 वर्ष,
 निवासी-ग्राम सोनेवानी, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-ईमलाबाई पति फागूलाल बिसेन उम्र-53 वर्ष,
 निवासी-ग्राम सोनेवानी, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-23/08/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498 ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-17.07.2012 से दिनांक-04.05.2013 तक ग्राम सोनेवानी, फरियादी का ससुराल, चौकी सोनेवानी, अंतर्गत थाना रूपझर फरियादी सीमा बिसेन के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी सीमा बिसेन के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, फरियादी सीमा बिसेन के विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से अधिक दहेज की मांग की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सीमा बिसेन ने दिनांक-04.05.2013 को चौकी सोनेवानी अंतर्गत थाना रूपझर आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि उसका विवाह आरोपी सुनील से दिनांक-18.04.2012 को हुआ था। शादी के 15 दिन के बाद ही जब वह अपने ससुराल रहने गई तब उसका पति सुनील, ससुर फागूलाल, सास ईमलाबाई, शादी में कम दहेज लाने की बात को लेकर उसे ताना मारने लगे। उसके पति ने गाड़ी ब एक लाख रुपये की मांग की और उसके साथ मारपीट की।

दिनांक-17.07.2012 को उसके पति ने उसके साथ मारपीट की एवं उसके बीमार होने पर भी उसका ईलाज नहीं कराया। उसकी सास तथा ससुर मोटरसाईकिल, फ्रिज, फिल्टर इत्यादि लाने के लिए उसे प्रताड़ित करते रहे। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी सोनेवानी आरक्षी केन्द्र रूपझर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-41/13, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, गवाहों के कथन लिये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए) एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-17.07.2012 से दिनांक-04.05.2013 तक ग्राम सोनेवानी, फरियादी का ससुराल, चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर अंतर्गत फरियादी फरियादी सीमा बिसेन के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी सीमा बिसेन के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सीमा बिसेन के विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से अधिक दहेज की मांग की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 एवं 2 का निष्कर्ष :-

5- सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी श्रीमती सीमा बिसेन (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी सुनील उसका पति है तथा आरोपी फागूलाल एवं ईमलाबाई उसके पति के माता-पिता हैं। उसका विवाह आरोपी सुनील से दिनांक-18.04.2012 को हुआ था। कुछ दिन तक उसके संबंध आरोपी से ठीक थे, उसके बाद उसका पारिवारिक विवाद होने लगा। इसके संबंध में उसने चौकी सोनेवानी में लिखित आवेदन पत्र प्रदर्श पी-1 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उक्त आवेदन के आधार पर प्रदर्श पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी,

जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके विवाह की पत्रिका, दहेज में दिया गया सामान की लिस्ट व विवाह की फोटो जप्त की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि आरोपीगण उसे कम दहेज लाने की बात को लेकर ताना देते थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी सुनील द्वारा उससे गाड़ी व एक लाख रुपये दहेज की मांग की गई थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी सुनील ने उसे मारा-पीटा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण गाड़ी, एक लाख रुपये, फ्रीज व फिल्टर लाने के लिए बोलते थे और उसे परेशान करते थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पढ़कर नहीं बताई थी और उसके हस्ताक्षर करवा लिये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 का आवेदन पुलिस ने बनाया था।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सरजू पटले (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि प्रकरण में फरियादी सीमा बिसेन उसकी पुत्री है और आरोपी सुनील उसका दामाद है। आरोपी फागूलाल उसका ससुर तथा आरोपी ईमलाबाई उसकी सास है। उसका विवाह आरोपी सुनील से वर्ष 2012 में हुआ था। बाद में उसकी पुत्री तथा दामाद का पारिवारिक विवाद हुआ था। इसके अतिरिक्त उसे और कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि आरोपीगण से उसकी पुत्री दहेज में एक लाख रुपये, मोटरसाईकिल, फ्रिज व फिल्टर की मांग की थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी सुनील ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट की थी। साक्षी ने प्रदर्श पी-4 का कथन पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री ने आरोपीगण द्वारा दहेज के लिए परेशान करने वाली बात उसे नहीं बताई थी।

8— प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, परंतु शमनीय प्रकृति की धारा नहीं होने से आवेदनपत्र निरस्त किया गया है। प्रकरण में फरियादी सीमा ने यह कहा है कि आरोपी सुनील ने मारपीट नहीं की थी और यह भी कहा है कि आरोपीगण परेशान नहीं करते थे और न ही उससे दहेज की मांग करते थे। अभियोजन साक्षी सीमा बिसेन (अ.सा.1) तथा साक्षी सरजू पटले (अ.सा.2) का कहना है कि उसका पारिवारिक बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस चौकी सोनेवानी में दर्ज कराई गई थी। दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के संबंध में

पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। अभियोजन साक्षी सरजू पटले (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग किये जाने के विषय में उसे कुछ नहीं बताया था। इस प्रकार फरियादी को आरोपीगण द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है और न ही यह बात प्रमाणित हो रही है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी से दहेज की मांग की गई थी। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

10— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शादी का कार्ड व फोटो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
किया गया।**

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

**बैहर
दिनांक-23.08.2016**

**(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,
बैहर, म0प्र0**